भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 323

5 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषयः जलवायु परिवर्तन से संबंधित भुखमरी संकट

323. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्री के. सुधाकरन:
श्री बैन्नी बेहनन:
डॉ. ए चेल्लाकुमार:
श्री कार्ती पी.चिदम्बरम:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जलवायु परिवर्तन से संबंधित भुखमरी संकट से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि जलवायु संकट, अत्यधिक विषम मौसम, अनियमित वर्षा और सूखे के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई है और संरचनात्मक ग्रामीण गरीबी में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खाद्य असुरक्षा की स्थिति का सामना कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समय और भविष्य में प्रभावित लोगों को खाद्य और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): वर्तमान में देश में जलवायु भूख संकट पर कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। चरम मौसम, अनियमित वर्षा और सूखे जैसी जलवायु परिवर्तन की घटनाएं खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव डालने के लिए जानी जाती हैं। खाद्यान्न उत्पादन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए सरकार राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएसए

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के मिशनों में से एक है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने और खाद्यान्न उत्पादन को बनाए रखने के लिए रणनीतियां तैयार करना और कार्यान्वित करना है। एनएमएसए को तीन प्रमुख घटकों अर्थात् वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी); कृषि जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम); और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) के लिए अनुमोदित किया गया था। तदुपरांत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर), प्रति बूंद अधिक फसल, राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) आदि जैसे नए कार्यक्रम भी शामिल किए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) स्कीम सभी 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों नामतः जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य सतत तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, व्यक्तिगत खेत स्तर पर मृदा की उर्वरता और उत्पादकता को बहाल करना और किसानों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए खेत स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनआरएसए) ने 2014-15 से 2022-23 के दौरान विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों के लिए क्षेत्रीय फसलों की 2279 उच्च उपज वाली किस्में / हाईब्रिड किस्में जारी की हैं जिनमें से 1888 किस्में जैविक और अजैविक दबाव सहने में सक्षम हैं, और 217 कम पानी की आवश्यकता वाली/सूखा/गर्मी/नमी का दबाव सहने में सक्षम हैं।

यद्यपि माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन का खाद्यान्न उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तथापि नकारात्मक प्रभावों को प्रौद्योगिकी की मदद से प्रभावी ढंग से निपटा गया है। सरकार के हस्तक्षेपों के कारण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बावजूद पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, जिसे नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है।

(मिलियन टन में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
खाद्यान्न उत्पादन	297.50	310.74	315.72	329.68	332.07 (लक्ष्य, प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार)

(ग) एवं (घ): सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया है जो लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए किफायती मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन तक

पहुंच सुनिश्चित करके मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम में 75% तक ग्रामीण और 50% तक शहरी आबादी अर्थात देश की कुल जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई, जो कि जनगणना 2011 में 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं, को अधिनियम की अनुसूची-I मूल्यों में विनिर्दिष्ट मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए शामिल करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत कवरेज काफी अधिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके। यह अधिनियम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है और वर्तमान में, 81.35 करोड़ के लक्ष्यित कवरेज की तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 80.24 करोड़ व्यक्तियों की पहचान की है।

***